

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)
Telephone No.-07792-299180, Email- dcourt nar-mp@nic.in

// ज्ञापन //

1932

क्रमांक- /तीन-3-7/2024

नरसिंहपुर, दिनांक-09.08.2024

प्रति,

समस्त सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-03
जिला स्थापना नरसिंहपुर
एवं तहसील गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगॉव

विषय:- लेखा प्रशिक्षण के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बावत्।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि लेखा प्रशिक्षण का तृतीय सत्र 01 दिसम्बर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक प्रस्तावित है, जिसमें कार्यरत लिपिकों को निर्धारित मापदण्ड पूरा करने पर प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेखा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जिसमें मूलभूत नियम, वित्तीय संहिता, वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, कोषालय संहिता, आईएफएमआईएस प्रणाली, वेतन निर्धारण, पेंशन नियम, बजट एवं आडिट आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाना है।

जिला नरसिंहपुर एवं तहसील गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगॉव पर पदस्थ समस्त समस्त सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-03 कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि इच्छुक कर्मचारी जिनका सेवाकाल 01 वर्ष पूर्ण हो गया हो, तथा सी.पी.सी.टी/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हों, निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन दिनांक 21.08.2024 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न :- निर्धारित प्रारूप

हेतु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर (म.प्र.)

पंजी का नमूना

जाये एक प्रति लेखा प्रशिक्षण शाला तथा दूसरी प्रति संचालनालय कोष एवं लेखा

स्व प्रमाणित फोटो

- 1 लेखा प्रशिक्षण सत्र का नाम
- 2 कर्मचारी का नाम
- 3 पिता/पति का नाम
- 4 जन्म ति
- 5 स्थाई पता
- 6 वर्तमान पता
- 7 पदनाम
- 8 कार्यालय का नाम एवं पता
- 9 विभाग का नाम
- 10 सम्बन्ध
- 11 पदच्युति चिन्ह
- 12 आवक नम्बर
- 13 शैक्षणिक योग्यता
- 14 शास्त्रीय सेवा में नियुक्ति दिनांक
(अ) अस्थायी नियुक्ति (ब) नियमित नियुक्ति
- 15 क्या आवेदक ने मुद्रालेखन परीक्षा पास की है ?
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 16 क्या कर्मचारी अनु.जाति/अनु.जनजाति का
नन्दन है (यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 17 क्या कर्मचारी ने पूर्व में लेखा प्रशिक्षण प्राप्त
किया है? यदि हाँ तो सत्र, केन्द्र तथा रोल नम्बर का
उल्लेख उद्देश्य रूप से किया जाये
- 18 आवेदक का मंगईल कनाक/दूरभाष कनाक

स्व प्रमाणित फोटो

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

पद

कार्यालय

द्वारा लेखा प्रशिक्षण हेतु

शुद्ध विवरण कार्यालय के अभिलेख अनुसार पूर्णतः सत्य है। उन्होंने पूर्व में किसी भी लेखा प्रशिक्षण शाला में नियमित शिक्षणार्थी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की जाच लम्बित नहीं है। तथा यह सत्य है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर